40&¼08½&16&2016

iVuk e fnukd&16 ekp] 2016 c/kokj dk vijkgu 06%00 ct l gb ef=ifj"kn dh cBd dh dk;okghA e[;e=h u cBd dh v/;{krk dhA

fuEufyf[kr fu.k; fy; x; %&

<u>xUuk m|kx foHkkx</u>

2.	राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में गन्ना उत्पादक कृषकों को पेराई सत्र 2015–16 के लिए बढ़े हुए दर पर ईंख मूल्य के ससमय भुगतान सुनिश्चित कराने के निमित्त राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–02.02.2016 को सम्पन्न बैठक में विभागीय संलेख ज्ञापांक–174, दिनांक–19.01.2016 द्वारा चीनी मिलों के लिए प्रदत्त आर्थिक स्वीकृति अंतर्गत स्वीकृत 21.75 रू०/क्विंटल नगद ईख मूल्य अनुदान की दर में संशोधन कर उसे 16.75 रू०/क्विंटल के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में।	2-	Loh—rA

<u>ty lalk/ku foHkkx</u>

3.	सोन नहर प्रणाली अंतर्गत भू–अर्जन का अवशेष कार्य हेतु ₹ 3500.89 लाख (पैंतीस करोड़ नवासी हजार रूपये) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।	3-	Loh—rA

<u>uxj fodkl ,o vkokl foHkkx</u>

4.	राज्य के नगर निकायों में वर्ग 'ग' के स्वीकृत रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/सेवानिवृत्त नगर निकाय कर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया की स्वीकृति।	4-	Loh—rA

<u>i;kZoj.k ,o ou foHkkx</u>

5.	बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली–1984 में संशोधन के संबंध में।	5-	Loh—rA

jktLo ,oa Hkwfe lq/kkj foHkkx

6. अररिया जिलान्तर्गत मौजा–रहिकपुर, अंचल अररिया में थाना सं०–197 के खाता सं०–619, खेसरा सं०–1465, रकवा–5.00 एकड़ गैरमजरूआ खास, बिहार सरकार किस्म पुरानी परती भूमि पावर ग्रीड रहिकपुर अररिया की स्थापना हेतु 45000/–रू० प्रति डिसमिल की दर से रू० 2,25,00,000/–रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 11,25,000/–रू० का 25 गुणा अर्थात रू० 2,81,25,000/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 5,06,25,000/–(पांच करोड़ छः लाख पच्चीस हजार) रू० मात्र के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 6- Loh—rA

jktLo ,oa Hkwfe lq/kkj foHkkx

7. रैयतों से राजस्व लगान एवं सेस की वसूली पाँच रूपया के गुणक में कराने के संबंध में। — 7- Loh—rA

f'k{kk foHkkx

8. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 20241 माध्यमिक शिक्षकों के वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के वेतन भुगतान हेतु ₹ 2,11,26,50,000/–(दो अरब ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) रूपये सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 8- Loh—rA

LokLF; foHkkx

9. डा० जवाहर लाल प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरा (सुपौल) सम्प्रति निलंबनाधीन मुख्यालय को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु रिश्वत लेने जैसे जघन्य अपराध एवं कदाचार में दोषी पाते हुए सेवा से बर्खास्त करने एवं — 9- Loh—rA

निलंबन अवधि का मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय का प्रस्ताव।

LokLF; foHkkx

10. डा० कलीमुद्दीन अहमद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुंदपुर, सारण को दिनांक– 10.04.99 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 10- Loh—rA

LokLF; foHkkx

11. आयुष प्रक्षेत्र के गैर शैक्षणिक चिकित्सक सम्वर्ग के 73 होमियोपैथिक एवं 28 यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों तथा शैक्षणिक सम्वर्ग के 78 आयुर्वेदिक शिक्षकों एवं 37 यूनानी शिक्षकों, कुल 216 आयुष चिकित्सकों/शिक्षकों को प्रथम/द्वितीय ए०सी०पी०/ प्रथम/ द्वितीय/तृतीय एम०ए०सी०पी० एवं प्रथम/द्वितीय/ तृतीय डी०ए०सी०पी० की स्वीकृति। — 11- Loh—rA

lpuk ikoif/kdh foHkkx

12. दिनांक–01.12.2015 से 30.06.2016 तक बिहार स्टेट बाईड एरिया नेटवर्क (BSWAN) के संचालन से संबंधित अवधि विस्तार के साथ–साथ विस्तारित अवधि में योजनान्तर्गत Operation & Maintenance (O&M) हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹ 6,20,91,315.00 (छः करोड़ बीस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ पन्द्रह) मात्र स्वीकृति के संबंध में। — 12- Loh—rA

lkekU; iz'kklu foHkkx

13. श्री मनोज कुमार (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक 1078/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, तरैया, सारण सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में। — 13- Loh—rA

lkekU; iz'kklu foHkkx

14. ''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना'' के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के — 14- Loh—rA

वेतन–भत्ते एवं सेवा–शर्त्तों के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में।

lkekU; iz'kklu foHkkx

15. श्री आनन्द स्वरूप (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक 491/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, आदापुर, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में। 15- Loh—rA

foÙk foHkkx

16. संविधान के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''स्थानीय निकाय'' को विधान मंडल के चालू सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में। 16- Loh—rA

eaf=eaMy lfpoky; foHkkx

17. कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में विभागों के क्रमांक–'01 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग' के अधीन क्रमांक '38' में उल्लिखित 'जन शिकायत कोषांग' को विलोपित करने तथा प्रथम अनुसूची के क्रमांक–'07 सामान्य प्रशासन विभाग' के अधीन एक नये क्रमांक '35' –जन शिकायत कोषांग, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा मुख्य सचिव, बिहार को प्राप्त सभी जन शिकायतों का निवारण जोड़ने तथा (ii) जन शिकायत कोषांग से संबद्ध सभी स्तरों के सृजित पदों (कार्यरत बल सहित) को सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानान्तरित करने के संबंध में। 17- Loh—rA

ty lalk/ku foHkkx

18. जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड में दरधा नदी पर कचनामा बांध सह–वीयर निर्माण कार्य हेतु रू० 2277.39 लाख (बाईस करोड़ सतहत्तर लाख 18- Loh—rA

उनचालीस हजार रूपये) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

<u>uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx</u>

21. पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.5% राशि में से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि ₹ 512.65 करोड़ (पाँच सौ बारह करोड़ पैंसठ लाख रू०) मात्र तथा अनुदान के रूप में राज्य के कुल व्यय के 2.75% में से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि ₹ 268.67 करोड़ (दो सौ अड़सठ करोड़ सड़सठ लाख रू०) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹ 781.32 करोड़ (सात सौ एकासी करोड़ बत्तीस लाख रू०) मात्र में से चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट उपबंध की कुल राशि 434.6405 करोड़ (चार सौ चौंतीस करोड़ चौसठ लाख पाँच हजार रू०) मात्र राज्य के कार्यरत 140 नगर निकायों के बीच सहायक अनुदान के रूप में वितरित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 21- Loh—rA

<u>uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx</u>

22. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्त्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत हाजीपुर, बक्सर, आरा, जहानाबाद, छपरा, बगहा, मोतिहारी, सिवान एवं औरंगाबाद नगर निकायों के जलापूर्ति योजना फेज–I हेतु कुल 35650.02 लाख रू० (तीन अरब छप्पन करोड़ पचास लाख दो हजार रू०) मात्र अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। — 22- Loh—rA

<u>jktLo ,oa Hkwfe lq/kkj foHkkx</u>

24. मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा अंचल के विभिन्न मौजा विभिन्न थाना एवं विभिन्न खाता खेसरा की कुल रकबा–05.98 एकड़ सरकारी भूमि (भूमि विवरणी — 24- Loh—rA

परिशिष्ट–I संलग्न) पूर्व मध्य रेलवे द्वारा प्रस्तावित मधेपुरा जिला में रेल ईंजन कारखाना की स्थापना हेतु अर्जनाधीन 307.06 एकड़ भूमि में सन्निहित 05.98 एकड़ सरकारी भूमि 9000/–(नौ हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 53,82,000/–(तिरपन लाख बेरासी हजार) रू० सलामी एवं सलामी का पांच प्रतिशत 2,69,100/–(दो लाख उन्नहत्तर हजार एक सौ) रू० का पच्चीस गुणा 67,27,500/–(सड़सठ लाख सत्ताईस हजार पांच सौ) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–1,21,09,500/–(एक करोड़ इक्कीस लाख नौ हजार पांच सौ) रू० के भुगतान पर रेलवे को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में।

lekt dY;k.k foHkkx

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

25. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यांश मद में रू० 70044.73 लाख (सात सौ करोड़ चौवालीस लाख तिहत्तर हजार रूपये) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति। — 25- Loh—rA

lekt dY;k.k foHkkx

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

26. मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू० 43446.85 लाख (चार सौ चौंतीस करोड़ छियालीस लाख पचासी हजार रूपये) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति। — 26- Loh—rA

f'k{kk foHkkx

28. श्री नागाराम, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शत प्रतिशत (100%) पेंशन पर सदा के लिए रोक के दंड की स्वीकृति। — 28- Loh—rA

f'k{kk foHkkx

29. विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति की प्रभावी तिथि तय करने हेतु गठित माननीय सेवानिवृत — 29- Loh—rA

न्यायमूर्ति श्री एस०एन०झा की अध्यक्षता में कार्य सम्पादन हेतु समिति का अवधि विस्तार मार्च 2016 से अगस्त 2016 तक करने के संबंध में।

foKku ,oa izkoSf/kdh foHkkx

30. केन्द्रीय सहायता से मधेपुरा जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, मधेपुरा में प्रस्तावित भवनादि के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 2643.00 लाख मात्र (छब्बीस करोड़ तेतालीस लाख रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रू० 5303.58 लाख (तीरपन करोड़ तीन लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। — 30- Loh—rA

LokLF; foHkkx

31. डा० ओम प्रकाश, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहषी, जिला–पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निलंबित को अपने कर्त्तव्यों के पालन हेतु रिश्वत लेने जैसे जघन्य अपराध एवं कदाचार में दोषी पाते हुए सेवा से बर्खास्त करने एवं निलंबन अवधि का मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय का प्रस्ताव। — 31- Loh—rA

fuca/ku mRikn ,oa e| fu"ks/k foHkkx

(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

32. नई उत्पाद नीति, 2015 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप इथेनॉल के उत्पादन के संबंध में। — 32- Loh—rA

fuca/ku mRikn ,oa e| fu"ks/k foHkkx

(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

33. बिहार उत्पाद अधिनियम, (संशोधन अधिनियम) 2016 को विधेयक के रूप में विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति के संबंध में। — 33- Loh—rA

ह०/–

(vatuh dqekj flag)

मुख्य सचिव, बिहार